an>

Title: Introduction of the Citizenship (Amendment) Bill, 2016 .

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker Madam, a Bill has been listed today about citizenship that is the Citizenship (Amendment) Bill 2016. No doubt it is a very important Bill, though last year we had passed a citizenship Bill. This is a new Bill. It needs proper scrutinization in detail. It concerns a large section of our population and it also concerns the very feeling of every Indian because India from time immemorial has been accepting people, who are persecuted because of their religious belief, with open arms. We have accepted people from all quarters of this world. Here is a case where specific instances have been listed in this Bill. Therefore, my request to the Government is to send it to a Joint Committee because it needs proper and focused attempt to be made in a time-bound manner. I would prefer that it should go to a Standing Committee. But as the nature of this Bill is very important, my suggestion would be to form a Joint Committee so that in a time-bound manner this Bill can come to this House for consideration and approval.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Hon. Speaker Madam, on the same issue we would like to put our point across also. महोदया, इस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी भी करती है। जैसा अभी महताब साहब ने कहा कि भारत ने ऐसे लोगों को जिनके विरुद्ध दूसरे देशों द्वारा गलत कार्य किए गए हैं, उनको सदैव अपनाया है। लेकिन जो नियम बनाया गया है, जो अमेंडमेंट सितम्बर, 2015 के बनाए गए हैं, उनमें काफी विसंगतियां पायी गयी हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि वह छः साल से कब से भारत में रह रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि उसकी दूसरे देश में राष्ट्रीयता की क्या पात्रता है, इसके अलावा असम अकॉर्ड का भी मामला है। इसलिए हम चाहते हैं कि हाउस इस पर अच्छे से चर्चा करे और स्टैंडिंग कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में इस बिल को भेजा जाए ताकि हम सब अपना मत दे पाएं और उसके बाद यह बिल सदन में पेश किया जाए।

मेरा भी अनुरोध है कि हमारी पहली प्रफरेंस स्टैंडिंग कमेटी है या ज्वाइंट कमेटी में इस बिल को भेजा जाए ताकि हर दल अपना मत रख पाए। उस मंथन से जो अमृत निकले, उसको हम इस सदन में प्रस्तुत करें।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदया, मैं इसके लिए महताब जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं कंटेंट में नहीं जाऊंगा लेकिन यह एक पहलू है कि आस-पड़ोस के देशों में धार्मिक कारण से परसिक्यूशन हो रहे हैं, इस वजह से हम उनको नागरिकता देंगे। लेकिन नागरिकता का सवाल इतना सेंसटिव है और हम असम के बारे में जानते हैं कि बरसों से वहां एजिटेशन है। बहुत से लोग हमारे देश में नागरिकता रहित हैं और इल्लीगल माइग्रेंट्स का सवाल भी है। सरकार इस बिल को जिस भी मंशा से लायी है, लेकिन विपक्ष इसमें सहयोग करने को तैयार है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसे ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाए। इसे आप समय सीमा में करने के लिए कह दें। वहां इसके हर पहलू को देखा जाए और फिर इस बिल को सदन में लाया जाए। इस बिल पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नागरिकता का कानून एक सेंसटिव मामला है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Hon. Speaker Madam, I think there is no confusion. Most of the Opposition parties have jointly raised their voices. So, I also agree with the proposal of Shri Bhartruhari Mehtab which is also supported by Shri Scindia that this Bill should go to a Joint Select Committee through which the discussion can take place in a better way. Please make it a time-bound programme as to when it will start, when it will finish, when it will be tabled and when it will be taken up for further discussion.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री भर्तृहरि महताब, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, श्री मोहम्मद सलीम और श्री सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने सिटीजनशिप एक्ट का जो अमेंडमैन्ट बिल है, इसके संबंध में सुझाव दिये हैं। यदि सदन पूरा सहमत है तो इसे ज्वाइंट कमेटी को रेफर किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि सदन सहमत हो और आपकी इजाजत हो तो मैं आज ही इस संबंध में मोशन मूव कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : यदि करेंगे तो अच्छा रहेगा।

12.16 hours

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE